निबंधित-डाक/ई-मेल

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

का०आ०सं०–उ०नि०–117/2016 3711 / पटना, दिनांक– 15.10.26

शुद्धि-पत्र

विभागीय पत्रांक–2124, दिनांक–12.10.2026 द्वारा सभी जिला अन्तर्गत कार्यरत उर्दू निदेशालय के नियंणाधीन कलावधि पूर्ण कर रहे उर्दू अनुवादकों को वरीय उर्दू अनुवादक के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त विहित प्रपत्र में वांछित सूचना एवं आनुषंगिक कागज़ातों की मांग की गयी है। आनुषंगिक कागज़ातों के रूप में मूल सेवापुस्त (दिनांक–30.09.2026 तक सत्यापित) के साथ–साथ मूल सेवापुस्त की स्पष्ट अभिप्रमाणित छायाप्रति भी निदेशालय को अपेक्षित है, परन्तु उक्त पत्र में टंककीय त्रुटिवश "मूल सेवापुस्त (दिनांक–30.09.2026 तक सत्यापित)/मूल सेवापुस्त की स्पष्ट अभिप्रमाणित छायाप्रति" अंकित हो गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को "मूल सेवापुस्त (दिनांक–30.09.2026 तक सत्यापित) एवं मूल सेवापुस्त की स्पष्ट अभिप्रमाणित छायाप्रति" पढ़ा/समझा जाय।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–2124, दिनांक–12.10.2026 में शेष यथावत् रहेंगे।

ह०/–
(मनीष कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या :–उ०नि०–117/2016 2155 / पटना, दिनांक– 15.10.2026

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

15.10.26
(मनीष कुमार)
अवर सचिव।